मुझे प्रसन्नता है कि यह झगड़ा इस प्रकार समाप्त हो गया परन्तु मैं अपना यह विचार व्यक्त करने में असमर्थ हूं कि इस प्रकार जो काम रुका और जो घटनायें हुई उन्हें सबको रोका जा सकता था। देश का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है और यदि हम अपना काम बन्द कर दें तो इस तरीके से केवल अनावश्यक हानि ही नहीं होती अपितु कर्मचारी भी बड़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं। सरकार ने झगड़े निबटाने की न्यायनिर्णयन की व्यवस्था की है और हड़ताल करने से पूर्व कर्मचारियों को उसका पूरा लाभ उठाना चाहिये। मैं भी कार्मिक संघ का सदस्य रहा हूं तथा मैं कभी भी यह नहीं चाहूंगा कि कर्मचारी हड़ताल के अपने अधिकार का उपयोग न करे परन्तु इस अधिकार का उपयोग उसी समय करना चाहिये जब और सभी तरीके समाप्त हो जायें। अन्यथा कर्मचारियों को स्वयं दुख उठाने पड़ेंगे। वह समुदाय का समर्थन आदि खो देंगे तथा मध्यस्थों के काम को और कठिन बना देंगे। मैं इस बात की पूर्णरूप से व्यवस्था करने का प्रयत्न करूंगा कि कर्मचारियों को उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये तथा झगड़ा निबटाने के लिये सभी प्रकार की सुविधायें मिलें। समुदाय तथा कर्मचारियों का हित इसी में है कि वह हड़ताल करने से पूर्व झगड़ा सुलझाने के अन्य तरीकों को काम में लायें। जो लोग प्राप्त सुविधाओं का फायदा न उठा कर ऐसी कार्यवाही करें उनके साथ अन्य व्यक्तियों के समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये।

मैंने बताया कि सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था का पहले उपयोग करना चाहिये तथा इसी बात का प्रचार करना चाहिये कि सभी विवाद बातचीत से दूर किये जायें। बातचीत में दोनों पक्षों को औचित्य तथा धैर्य से काम लेना चाहिये। यदि पूर्णतया धैर्य से की गई चर्चा के द्वारा विवाद सुलझें नहीं तो न्यायनिर्णयन का आश्रय लेना चाहिये, अपनी शक्ति अजमाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये या सरकारी व्यवस्था पर ज़रूरत से ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिये। हमने कुछ दिन पूर्व औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन न्यायनिर्णयन के द्वारा झगड़े निबटाने के लिये ही किया था। अधिनियम की नवीन धारा १० (क) में दिया गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो वह लिखित रूप में अपना विवाद न्यायनिर्णेता को सौंप सकते हैं और न्यायनिर्णेता का फैसला वैध रूप से दोनों पर लागू होगा। मैं आशा करता हूं कि इस प्रक्रिया का पूरी तरह प्रयोग किया जायेगा। मैं दोनों पक्षों को न्यायनिर्णेताओं की तालिका बता कर सहायता देने को सर्वदा तत्पर रहूंगा। इस तालिका में से न्यायनिर्णेता का चुनाव दोनों पक्ष बिना किसी झगड़े के कर सकते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में श्री तिरुमल राव तथा श्री म० प्र० मिश्र के निम्न प्रस्ताव पर और आगे चर्चा होगी :

> "कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने १३ मई, १९५७ को एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

मुझे बताया गया है कि प्रधान मंत्री वाद-विवाद का उत्तर शायद कल देंगे।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं कल यहां नहीं हूंगा इसलिये माननीय गृह-मंत्री इसका उत्तर देंगे। परन्तु यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अभी बोल सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्न संशोधन और प्रस्तुत किया गया :—

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
३०	श्री गोरे	गोआ के बारे में किसी उल्लेख का न होना ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अध्यक्ष महोदय , ...

†**कुछ माननीय सदस्य** : अंग्रेजी में ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि सभा की ऐसी इच्छा है तो मैं अंग्रेजी में भी कुछ कह दूंगा। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, परन्तु यदि आप अनुमति देंगे तो मैं बाद में अंग्रेजी में भी कुछ शब्द कह दूंगा ।

इस बहस में, जो दो दिन से यहां हो रही है, बहुत सारे पुराने महारथी—और कुछ नये भी—बोले हैं, और मुझे खुशी हुई यह देख कर और यह सुन कर कि तरह तरह के विचार और ख्यालात पेश किये गये। आचार्य कृपालानी जी ने हस्बे-मामूल चारों तरफ तीर कमान चलाये। हमारे दोस्त, ब्रजेश्वर प्रसाद जी, ने अपने पुराने बम के गोले ज़रा इधर उधर फेंके । और हमारे विरोधी दल के एक नये नेता जो बोले, उनके हथियार मुझे ज़रा कुछ बाजारू मालूम हुये । मालूम होता था कि अभी तक इलेक्शन की हवा उनके दिमाग़ से कुछ पूरी तौर से नहीं हटी है और उनका विचार मालूम होता था कि यह लोक-सभा भी कोई इलेक्शन की मीटिंग है । एक और रत्न आये हैं हमारी सभा में, जो कि हमें पुराने जमाने में ले गये—एक राजा साहब, जो उस पार तशरीफ़ रखते हैं—और वह पुराने ज़माने में इतने फंसे हैं कि उन्होंने पूरी तौर से महसूस नहीं किया है कि हिन्दुस्तान आज़ाद हो गया है । बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि हिन्दुस्तान आज़ाद नहीं है और वह एक टूल है अंगरेज़ों का, अंगरेज़ी हुकूमत का । अब ऐसे ख्यालात की निस्बत मेरा कुछ कहना ज़रा दुश्वार है, क्योंकि जो दिमाग पुरानी दलदल में इतना फंसा हुआ है, उसको वहां से निकालना मेरी कुव्वत से बाहर है । हमें आजकल की दुनिया को देखना है, न कि पुराने सबक रटना है और पुराने नारे दोहराना है । आज का ज़माना नया है—हिन्दुस्तान में भी और उसके बाहर भी । जो दुनिया आज से बीस, तीस या चालीस साल पहले थी, वह खत्म हो गई है । यह इतिहास में लिखा है, जो पढ़ना चाहें, वे उसको पढ़ें । इस लोक-सभा का काम है—ज़िम्मेदारी है—हिन्दुस्तान की आजकल की हुकूमत और कल के हिन्दुस्तान का बनाना और इन्तजाम करना ।

हमारे राष्ट्रपति के भाषण में चन्द बातों का जिक्र है । लोग शिकायत करते हैं कि उसमें बाज़ बातों का ज़िक्र नहीं है, मसलन गोआ का ज़िक्र नहीं है, या किसी और मसले का ज़िक्र नहीं है । यह सही है और सही एतराज़ है, लेकिन उसी के साथ राष्ट्रपति का भाषण कोई सवालों की एक फेहरिस्त नहीं होता है । आपने देखा कि उसमें खाने-पीने की चीज़ों के मुताबिक ग़ल्ले के सिलसिले में खास तौर से ध्यान दिलाया गया है—और शायद वह भाषण का सब से बड़ा हिस्सा है—क्योंकि वह हमारे लिये एक अहम सवाल है । इन दो दिनों में जितने लोग यहां बोले हैं, उनका भी ध्यान इधर काफ़ी गया है क्योंकि वह एक बुनियादी सवाल है । राष्ट्रपति जी ने भी उसके बारे में कहा है और वाक़यात रखे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आचार्य कृपालानी जी ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण बहुत ज़ाब्ते का है। यह तो सही बात है कि वह ज़ाब्ते का है और मेरा ख्याल था कि राष्ट्रपति का भाषण ज़ाब्ते का होना चाहिये। जैसे यहां के कोई सदस्य--या मैं--कभी इधर उधर बहक जाय, यह मुनासिब नहीं है कि राष्ट्रपति भी उसी तरह बहकें। लोक-सभा यह भी जानती है कि राष्ट्रपति का भाषण कोई उनका ज़ाती नहीं होता है, हालांकि वह उनके शुभ मुख से कहा जाता है। वह गवर्नमेंट की तरफ से तैयार होता है।

एक बात और हुई, जिससे मुझे कुछ तकलीफ हुई। श्री डांगे ने राष्ट्रपति के भाषण के बारे में कहा कि वह कुछ प्रान्तीयता में फंस गए। पैरोकियल हो गये हैं इसलिये कि उन्होंने बिहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का ज़िक्र किया है और बाकी हिन्दुस्तान को वह भूल गये हैं। मैं समझता हूं कि यह जो बात उन्होंने कही है, एक नामुनासिब बात कही है और महज़ नामुनासिब ही नहीं बल्कि वाकात से भी दूर की यह बात है। जो बात राष्ट्रपति जी के भाषण में कही गई है वह सीधी सी बात है और वह यह है कि इन दो जगहों में नुकसान ज्यादा हुआ है और इसमें कोई सन्देह भी नहीं है कि हुआ भी है। इसका यह मतलब नहीं है कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में, अक्सर हिस्सों में दिक्कतें नहीं हैं। वे तो हैं ही। तो सब से अव्वल सवाल जो इस वक्त हमारे सामने है वह गल्ले वगैरह की पैदावार का है और लोगों को गल्ला पहुंचाने का है। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे साथी जो कि फूड एंड एग्रिकलचर मिनिस्टर हैं, वह आपसे काफ़ी कुछ इस सम्बन्ध में कहेंगे। लेकिन एक बात जाहिर है जो कि राष्ट्रपति जी के भाषण से भी जाहिर है कि यह सवाल बहुत अहमियत रखता है। इस बात की अहमियत केवल इस वक्त के लिये नहीं है--वह तो है ही--लेकिन आइन्दा के लिये भी यह बहुत बड़ी अहमियत रखता है। हमारी आइन्दा की तरक्की का दारोमदार इसी पर निर्भर करता है कि हम खेती के जरिये हिन्दुस्तान में क्या पैदा करते हैं और कितना पैदा करते हैं। तो जहां तक इस सवाल की अहमियत का सम्बन्ध है, उसकी अहमियत में कोई शक वाली बात नहीं है। अब क्यों ये दिक्कतें पेश आईं इसका जवाब मैं यकायक नहीं दे सकता। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि कहीं किसी की लापरवाही नहीं हुई है या गलती नहीं हुई है, हो सकता है कि हुई हो। लेकिन यह सवाल ज्यादातर हमारा ही नहीं है इधर उधर की हुकूमतों का भी है। लेकिन एक बात की तरफ मैं आपका और ध्यान दिलाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान अकेला मुल्क ही नहीं है जो इस वक्त इस साल--पहले सालों को छोड़ दीजिये उस वक्त भी दिक्कतें आई होंगी--इस दिक्कत में पड़ा है। हमारा पड़ोसी मुल्क चीन है। वह एक बहुत बड़ा मुल्क है और यकीनन वहां का इन्तजाम बहुत अच्छा है। वह भी काफी परेशानी में पड़ा हुआ है इसी सवाल के बारे में और इसी वक्त। हमारे विरोधी दल के भाई यह तो नहीं कहेंगे कि वहां इंतिज़ाम में कोई खलल है, वहां का इंतिज़ाम तो बहुत ही माकूल है। लेकिन वह भी इसी मामले में इसी परेशानी में फंसा हुआ है क्योंकि ये बातें पूरी तौर से काबू में नहीं हैं। माना हम से थोड़ी गलती हुई हो, हमें अपने आप को सम्भालना चाहिये और मैं पसन्द करूंगा कि यहां के माननीय सदस्य हमें बतायें कि क्या गलती हुई और क्या नहीं हुई। हम उनसे मशविरा करें और उनके मश्विरे से जहां संभल सकते हैं सम्भलें। लेकिन यह मोटी बात समझने की है कि यह बात ऐसी नहीं है कि यह सोलहों आने काबू में है इस वक्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा होती जायेगी। चीन भी एक ऐसा ही मुल्क है जिसका दारोमदार बहुत कुछ खेती पर है। खेती की पैदावार का दारोमदार बारिश होने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पर या कोई दूसरी मुसीबत न होने पर होता है। यह बात हो सकती है कि हम अपनी नहरों को बढ़ायें और इस तरह से इसको काबू में लायें। हम तजारत को बढ़ा कर उसको काबू में ला सकते हैं और हमें चाहिये कि हम उन्हें करें। लेकिन कोई जादू मेरे पास नहीं है जिससे यह सब सवाल हल होजाये। आप जानते ही हैं कि पीछे बिहार में मुसीबत आई, दिल्ली के पास आई और यहां की सारी फसल की फसल खराब हो गई इन ओलों के गिरने से। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी चीज़ पर परदा डालूं। कोई अगर गलती हुई है या गफलत हुई है तो उस पर हमें ग़ौर करना चाहिये और आपका पूरा हक है कि हमें आप उस गलती को बतायें और हमारा यह फर्ज़ है कि हम उससे फायदा उठायें। आखिर जो काम हमारे सामने है वह किसी दल विशेष का तो नहीं है और न ही विरोधी दल वालों का है हमें सबको हिन्दुस्तान के बड़े सवालों को हल करना है और उसके लिये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, प्रार्थना करूंगा, कि आप टीका टिप्पणी तो अवश्य करें लेकिन उन सवालों को हल करने के लिये हम से मिल कर कोशिश करें।

मैंने आपके सामने चीन की मिसाल दी है। मैं और मिसालें भी आपको दे सकता हूं जहाँ पर इसी मामले की वजह से और पैदावार कम होने की वजह से बड़ी मुसीबत पेश आई है। पूर्वी यूरोप के देश हैं, साम्यवादी देश हैं, काफी मुसीबत में हैं और पूरे तौर से कोशिश कर रहे हैं इसमें से निकलने की लेकिन फंसे हैं और बुरे फंसे हैं। पिछले वर्ष और अब हलके हलके उसको समाप्त करने की कोशिश होती है। आप को सुनकर आश्चर्य होगा कि पूर्वीय यूरोप के देशों में एक बड़े साम्यवादी देश में जब ७, ८ महीने या साल भर हुये मुसीबत आई तो वहां उनको सलाह दी गई और उनके बड़े आदमियों ने अर्थशास्त्र के जो आचार्य हैं, उन्होंने सलाह दी कि तुम हिन्दुस्तान की नक़ल करो, तुम हिन्दुस्तान की पंचवर्षीय योजना को देखो कि वह क्या कर रहा है। इसके कहने से मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं कोई जवाब दे रहा हूं उन गलतियों का जो कि हम से हुई हों। मैं तो आपको वह तस्वीर दिखा रहा हूं। अब आप उस तस्वीर की एक एक बात को पकड़ लें और नुक्ताचीनी करें, वह तो ठीक है लेकिन हमें ज़रा पूरी तस्वीर को भी देखना होता है। आखिर में हिन्दुस्तान के सामने और एशिया के जो और मुल्क हैं उनके सामने क्या सवाल है? उन सब के सामने एक जबर्दस्त सवाल है कि मुल्क जो कि एक गरीबी के दल-दल में फंसा हुआ है उसको उस दलदल में से निकालना है। अब एक मुल्क जिसमें कि बेशुमार आदमी रहते हों, कोई ज़रिया नहीं है और मुझे इल्म नहीं है कि हिन्दुस्तान में या कहीं और यह बातें जल्दी से तेज़ी से या जादु से हो जायें। कितने ही आप क्रान्तिकारी तरीके करें, फिर भी समय लगता है क्योंकि आखिर में गरीबी की दलदल से बाहर हम तभी निकल सकते हैं जब कि देश में दौलत पैदा हो।

मेरे एक विरोधी पक्ष के भाई ने कहा कि समाजबाद महज़ कुछ नारों या बयानों से आने वाला नहीं है। मैं उनसे पूरा इत्तिफ़ाक करता हूं कि समाजवाद महज़ नारों या बयानों का नहीं है। और मैं चाहता हूं कि वह भी इस बात को याद रखें कि नहीं है। हमें तो ऐसी एक बड़ी इमारत को नीचे से बनाना है, करोड़ों घरों से बनाना है और उठाना है, दिमाग़ों को बनाना है और अपने समाज के संगठन को बदलना है और दूसरी हजारों बातें करनी हैं। ज्यों ज्यों हमारे देश में ज्यादा धन धान्य पैदा करने की शक्ति आती जाय; उससे हम लाभ उठायें और उसका फिर ठीक

से बंटवारा हो । वह हमारे भाई बंटवारा करके समाजवाद को लाना चाहते हैं लेकिन यह बंटवारा किया किस चीज़ का जाय ? मालूम नहीं किस चीज़ का वह बंटवारा करना चाहते हैं ? क्या वह देश की गरीबी का बंटवारा करके यहाँ पर समाजवाद लायेंगे ?

उन भाई ने हिन्दूस्तान की खराब हालत दिखाने के लिये बतलाया कि यहां पर आये दिन खोमचे वाले, मूंगफली वाले, और रिक्शा वाले बढ़ते जाते हैं । अब यह खोमचेवालों का बढ़ना या रिक्शेवालों का बढ़ना, इससे यह नतीजा निकालना कि हिन्दुस्तान की कैसी खराब हालत है, मैं तो समझ नहीं सका, उनकी तरफ कोई नई बात हो तो हो लेकिन यहां तो यह खौंमचे वाले और रिक्शेवाले बाइज्ज़त लोग हैं ।

मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों को जो चाहे वे हिन्दूस्तान के अन्दर के हों या हिन्दुस्तान के बाहर के हों, उनको एक पूरी तस्वीर को सामने रख कर देखने की कोशिश करें, फिर अलग अलग देखें। मैं इससे इंकार नहीं करता कि हजारों गलतियां हुई हैं और गलतियों और खराबियों से सारा हमारा मुल्क भरा पड़ा है मैं इस मौके पर खुराक और खाने की बाबत ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन मैं उसकी अहमियत को पूरी तौर से महसूस करता हूं और हमारे राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी है । उस सिलसिले में एक दिक्कत अक्सर हमारे सामने पेश आती है और वह दिक्कत यह है कि हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश हैं और प्रदेशों की परस्पर नीति में कुछ न कुछ फर्क रहता है और वह एक जैसी नहीं होती और जिसकी कि वजह से दिक्कत पैदा हो जाती है । हमें कोशिश करनी चाहिये कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा और अन्य ज़रियों से हम इस सवाल के ऊपर एक नीति बना कर चलें ।

एक बात मैं और कह दूं और मुझे खुद इस बात की शिकायत और रंज है कि जो हमने इस सम्बन्ध में नीति बनाई हुई है उस पर प्रदेशों में पूरी तौर से अमल नहीं हुआ है और अगर कोई इस चीज की शिकायत करे तो मैं उससे सहमत हूं । आज हमारे देखने की जरूरत यह है कि तेज़ी से उस पर अमल किया जाये और मुझे ठीक से याद नहीं शायद मेरे साथी ने उस बारे में और ज्यादा जाँच करने के लिये ज़िक्र भी किया है । हमारा इरादा है कि हम और तरीके निकालें और पूरी तौर से मालूम हो कि क्या पैदा होता है, और क्यों नहीं वहां अधिक पैदा हुआ जहाँ कि हम उम्मीद करते थे कि ज्यादा पैदा होगा ?

अब हमारे पास इस बात के करने के ज़रिये भी बढ़ गये हैं, यानी स्टैटिस्टिकल (सांख्यिकी) जरिये । पहले भी कुछ थे, पटवारियों के बयानों पर काम चला करता था, उस पर क्या भरोसा हो सके ? और काफी दिक्कतें थीं । अब मालूम होता जाता है ठीक से, तो उससे मदद मिलेगी ।

अब आप इस बात को छोड़ कर और जो सवाल हमारे सामने हैं उन पर आयें । आपका दिमाग गालिबन किसी कदर इस समय कुछ उससे भरा होगा जो कल शाम को आपने बजट पर स्पीच सुनी । यह तो मेरे बजट पर कुछ कहने का समय नहीं है । बहुत मौके आयेंगे आपके विचार करने के, हमारे विचार करने के, एक दूसरे से मिल कर करने के, लेकिन मैंने उसका ज़िक्र इसलिये किया कि आप गौर करें कि मसला देश के सामने क्या है, क्यों हमें इस बात की जरूरत हो रही है कि हम ऐसे कदम उठायें जो कि काफी गम्भीर हैं, काफी मुश्किल हैं, लेकिन उठायें । क्यों उठायें ? इसलिये कि या तो हम इस बड़े काम को, जो हम ने उठाया है, जिसको आप पांच बरस योजना कहें, या हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना कहें, जो कुछ कहें, पूरा करें, या हम

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वहीं के वहीं रह जायें, उसे गिरने दें और उसके साथ देश को गिरने दें। हम मंझधार में हैं, हम हिम्मत करके दरिया में कूदें, अब बीच में कोई जरिया नहीं है, वहीं टंगे रह जायें, या तो जोर लगाकर आपको उस पार पहुंचना है या गोता खा जाना है वहीं। तो बजट के माने क्या हैं, ऐसे बजट के? वह है हमारा इरादा, हमारा तहैया, हमारा पक्का यकीन कि हम उस पार पहुंचेंगे और जोरों से पहुंचेंगे, चाहे कितनी तकलीफ उठानी पड़ें।

आप खुद विचार कर सकते हैं कि किसी गवर्नमेंट को तो अच्छा नहीं लगता है कि लोगों पर बोझा बढ़ाये। आम तौर से गवर्नमेंट झिझकती है इस से। हमने किया तो कोई खुशी से नहीं, हम तजवीज पेश करते हैं आपके ग़ौर करने को तो खुशी से नहीं बल्कि इस मजबूरी से और यकीन से कि जब तक इसमें काफी जोरों से कदम नहीं उठाये जायेंगे, हम न इधर के रहेंगे, न उधर के रहेंगे। आप कदम उठायेंगे, कुछ हेर फेर होंगे, आपके विचार करने की बात है। लेकिन मोटी बात यह है कि यह बातें हो नहीं सकती हैं कि हम आजकल की हालत को चलने दें, या फर्ज कीजिये, कहा जाता है, और ठीक कहा जाता है, मुझे इसमें ऐतराज नहीं है, कि किसानों की तन्ख्वाहे बढ़ें, नया पे कमिशन (वेतन आयोग) लायें, यह सब बातें कही जाती हैं। बहुत माकूल बहस हो सकती है इस में, मैं तो नहीं कहता कि नहीं हो सकती है, बहुत बहस हो सकती है, खास कर हमारे बाज तबके के लोग हैं, काम करते हैं, उनकी आमदनी बढ़े। कौन कह सकता है कि न बढ़े। लेकिन आप इस वक्त कोई कदम उठायें जिस से वक्ती फायदा पहुंचाने की कोशिश में आप बुनियाद निकाल दें, सारी हमारी पांच बरस योजना की, तो वह एक अक्ल की बात तो नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं। हां, जहां जहां जरूरी हो मदद करने की, मदद करनी चाहिये, तन्ख्वाह बढ़ानी चाहिये। लेकिन कोई आम ढंग बना दें, तो जो मुल्क (देश) इस तरह से बढ़ने की कोशिश करता है, बल्कि जमीन से अपने को उठा रहा है, अपनी शक्ति से, आप उसकी पीठ पर और बोझा लाद दें तो उसका उठना दुश्वार हो जायेगा। यह एक पेचीदा सवाल है, आप इस पर विचार करेंगे। लेकिन जो कुछ मैं आपसे बहुत अदब के साथ तजवीज करना चाहता हूं, वह यह कि आप जरा इस पूरी तस्वीर को देखें और खाली इस मुल्क को न देखें बल्कि और मुल्क को जो कम व वेश इस हालत में हैं और कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। अजीब मामला है। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े सवाल हमारे यहां हमें परेशान कर रहे हैं वही सवाल उन मुल्कों को कर रहे हैं, हालांकि उनकी परिस्थिति दूसरी है। हालांकि उनका सामाजिक संगठन दूसरा है। सवाल वही हैं अगर उसी ढंग का मुल्क है जैसे चीन है या हिन्दुस्तान है या बाज़ यूरोप तक के मुल्क हैं। तो खाली नुक्ताचीनी करने से तो कोई फायदा नहीं है। हमारी यह ख्वाहिश है और विरोधी दल की भी यही ख्वाहिश है कि हिन्दुतान की तरक्की हो। हिन्दुस्तान की तरक्की के मामले में आप बखुशी बतलाइये कि कहां कहां हम से गलती हुई। और मैं एक बात सब माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं कि यह मेरी ख्वाहिश है कि अलावा उस काम के कि जो आप यहां लोक सभा में करते हैं, जैसे कि आप यहां सवाल करते हैं या बातों की तरफ ध्यान दिलाते हैं, अगर आपको कोई शिकायत किसी मिनिस्ट्री से हो तो आप अपनी शिकायत उस मिनिस्टर के पास सीधे ले जायें। इसके लिये आपकी दावत है। आप अपनी शिकायत लिख कर या जबानी कहें ताकि या तो कुछ वाकयात आपके सामने रखे जायें या अगर आपकी बात सही हो तो उसको हम करें। गरज यह है कि हम चाहते हैं कि इस तरह का रिस्ता रहे। इस तरह के सहयोग से बहुत कुछ काम हो सकता है। हम यह नहीं कहते कि हर बात जो कही जावेगी हो सकेगी, लेकिन एक तरफ जहां हम एक दूसरे का मुकाबला करें, जैसा कि पार्लियामेंट का दस्तूर है, तो दूसरी तरफ हम उन बड़े कामों में जिन में हम सहमत हैं एक दूसरे की मदद भी करें, यह भी पार्लियामेंट का दस्तूर है। और हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने में कौन सहमत नहीं है।

आचार्य कृपालानी जी ने कहा कि इस दफा हमारे राष्ट्रपति के भाषण में देश की हालत की तरफ ज्यादा तवज्जह है और दुनिया की हालत पर उसके मुकाबले कम । यह बात सही है, बल्कि, जैसा मैं ने कहा, सब से ज्यादा देश की हालत पर तवज्जह है, खाने पीने के मामले पर, क्योंकि वह एक सवाल हमारे सामने है । जाहिर है कि हमारा और आपका और लोक सभा का काम है कि देश की हालत पर तवज्जह करें । यहां के लिये तो आप कानून बनाते हैं, आप दूसरे मुल्कों के लिये तो कानून नहीं बनाते । और विदेश के लिहाज से भी जितनी ताकत हमारे देश में है उतना ही हम असर पैदा कर सकते हैं । यह मोटी बात है । विदेश की बात हमारे सामने आती ही है । मैं ने पहले भी अर्ज किया है कि हमारी गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश नहीं है कि हम विदेशी सवालों में फंसें, लेकिन एक वाकयात की मजबूरी होती है और आजकल की दुनिया की मजबूरी है । आप साहिबान को इस बात का ख्याल है कि आप सब कभी कभी इसका जिक्र भी करते हैं । लेकिन चूंकि मेरा बिलकुल इस मिनिस्ट्री से ताल्लुक है इसलिये आजकल की दुनिया की हालत की वजह से मेरे ऊपर यह बोझा हो जाता है । यानी मुझे यह ख्याल रहता है कि कोई बात दुनिया में ऐसी न हो जिससे हमारे घर का काम बन्द हो जाये, हमारे घर के काम में अटकाव हो जाये, और दुनिया की लपेट में हम भी आ जायें । हमारे सामने हाइड्रोजन बम का खतरा है । इस मामले की हमारी महज दिमागी पकड़ नहीं बल्कि गहरी पकड़ होनी चाहिये ताकि हम महसूस करें कि आजकल दुनिया तबाही के कितनी करीब है । अगर इत्तिफाक से ज़रा सा कोई मौका हो जाये तो न मालूम दुनिया आज कहां से कहां पहुंच जाये । ज़ाहिर है कि हमारी इसमें दिलचस्पी है । ज़ाहिर है कि हमारी जो कुछ ताकत है उसे हमें अमन और सुलह की तरफ डालना है । मैं नहीं कह सकता, और अगर कोई साहब यह समझते हैं तो वह गलत समझते हैं कि हमारी बड़ी जबरदस्त ताकत है । हमारी थोड़ी ताकत है । हमारी आवाज छोटी है । हम गुल नहीं मचा सकते, हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते । फिर भी जो कुछ, तोला माशा, हमारी ताकत है उसको हमें अमन की तरफ डालना है और इसीलिये हमने यह निश्चय किया है और इस नीति पर चल रहे हैं कि आजकल की दुनिया के जो बड़े बड़े हथियारबन्द गिरोह हैं उनसे दोस्ती रखें, लेकिन लड़ाई झगड़े के मामले में उन से कोई ज़ाब्ते का ताल्लुक न रखें, जिसे मिलिटरी एलायंस या फौजी सम्बन्ध कहा जाता है । इस तरह के सम्बन्धों से हम अलग रहना चाहते हैं । यही हमारी नीति रही है और मेरा खयाल है कि लोक सभा ने इसे बार बार स्वीकार किया है । अब विरोधी दल के जो साहबान इस नीति को पसन्द नहीं करते या कहते हैं कि हमें कुछ और करना चाहिये, वह साफ साफ बतायें किस ढंग की बात करना चाहते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं । वह कह सकते हैं कि हमें दुनिया के एक बड़े दल में शरीक हो जाना चाहिये । और फिर वे हमारा साथ देंगे । लोग कहते हैं कि काश्मीर के मामले में सिक्योरिटी कौंसिल (सुरक्षा परिषद्) में आपका साथ किसने दिया, क्या आपकी नीति है । मैं यह मानता हूं, हालांकि सिक्योरिटी कौंसिल कोई दुनिया का नक्शा नहीं है, नमूना नहीं है । लेकिन उससे नतीजा आप क्या निकालते हैं ? क्या आप यह चाहते हैं कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरह हम भी एक रथ के पीछे बन्ध जायें और जिधर वह रथ जाये, हम भी जायें ? यह मोटी बात है और इसको साफ तौर पर समझना चाहिये कि अगर हमने इन दोनों बातों को नहीं करना है—जैसा कि मैं समझता हूं कि नहीं करना है— तो उसके नतीजों को हमें बर्दास्त करना है और मेरा ख्याल है कि उसके नतीजे भी आखिर में अच्छे होंगे— महज़ एक उसूली हवा के लिये नहीं, बल्कि अमली नुक्ता-ए-नज़र से । अगर हमारी यह बुनियादी नीति आपको पसन्द है, जैसा कि आपने बार बार कहा है, तो उसका नतीजा यह होता है कि वक्त पर हमें नुकसान होता है और जो मुल्क बड़े बड़े सुलहनामों में बन्धे हुये हैं, वे हमसे नाराज़ होते हैं और वक्त पर हमारे खिलाफ राय देते हैं । लेकिन मेरी राय बहुत ही मज़बूत है कि जिस नीति

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पर हम चले हैं, उसके अलावा हिन्दुस्तान के लिये और कोई रास्ता नहीं है। मैं इतना और कहूंगा कि उस नीति पर चलने से हमने अपना लाभ किया, अपना फायदा किया, हमारी कुछ इज्ज़त भी बढ़ी और दुनिया में अमन कायम रखने में कुछ न कुछ मदद भी की। तीन तो ज़रूर—और शायद ज्यादा—मौके हुये हैं, जब कि हिन्दुस्तान के थोड़े से वज़न और हल्की सी आवाज से भी दुनिया के इतिहास में यानी लड़ाई और अमन के सिलसिले में, एक फर्क पड़ गया। लेकिन वह हो, या न हो, हमें तो अपना कर्तव्य —अपना फ़र्ज़—अदा करना है, कोशिश करनी है कि हम इस तरह से अपने देश को चलायें कि एक बाज़ारू मोल-तोल में हम न पड़ें—यानी हम तुम्हें यह देते हैं, तुम हमारा साथ दो, इस तरह की बातों में न पड़ें। इस तरह से कोई शानदार मुल्क आगे नहीं चल सकता है। मेरी फ़िक्र और कोशिश है कि हिन्दुस्तान जो भी बात करे, वह ऊंचे दर्जे की हो, शानदार हो, क्योंकि हमने दूर तक देखना है और अपने मुल्क को दूर तक आगे ले जाना है।

चन्द साहबान ने कहा कि इस में गोआ का ज़िक्र क्यों नहीं है। श्री गोरे ने, जिन को गोआ का ज़ाती तजुर्बा है, एक बात कही—और माकूल बात कही—कि आप गोआ की निस्बत साफ़ साफ़ क्यों नहीं कह देते कि आपकी क्या नीति है। मेरा ख्याल था कि हमने साफ़ साफ़ कह दिया है कि इस बारे में हमारी बुनियादी नीति क्या है। हमने कहा है कि गोआ पर हम कोई फ़ौज नहीं दौड़ायेंगे, हम किसी हथियार बन्दी से गोआ को फ़तेह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसकी वजूहात में मैं जाने के लिये तैयार हूं। इसलिये नहीं करेंगे कि दुनिया के सिलसिलों में हमने अब तक जो नीति रखी है, यह उसके खिलाफ़ होगा। और उसूल को छोड़िये, हम इससे हजार पेचों में पड़ जायेंगे। दुनिया में जो थोड़ी बहुत जगह हमने बनाई है, वह खत्म हो जायेगी। दुनिया के सवालों में थोड़ा बहुत जो हिस्सा हम लेते हैं, उन में हम कमजोर पड़ जायेंगे। हम एक तरह के भिड़ के छत्ते में पड़ जायेंगे जिससे बचना मुश्किल हो जायेगा। अलावा उसूली बातों के यह उसका प्रैक्टिकल कान्सीक्वेन्स होगा।

इसके अलावा यह कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, जो कि हिन्दुस्तान कर रहा है, और कोई और नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हूबहू ऐसा ही सवाल चीन में मैकाओ का सवाल है। वह भी पार्चुगीज का एक छोटा सा अड्डा है। चीन एक महाशक्ति है, एक ताकतवर देश है। इस में कोई शक नहीं कि जिस वक्त भी वह चाहे, फौज से उसको ले सकता है। क्यों नहीं उन्होंने ऐसा किया? इसलिये कि वे दूर-अन्देश हैं। वे दूर तक देखते हैं। वे एक छोटे से वक्ती फायदे के लिये एक ज़बर्दस्त नुकसान नहीं उठाना चाहते।

मैंने आपको दिखाया है कि हम इस वक्त जोश में आ कर एक बात करें और फिर एक मुसीबत में पड़ें, अपनी नीति को छोड़ दें, यह कोई समझ की बात नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि यह ज़रूरी बात है कि गोआ को हिन्दुस्तान में शामिल होना है।

इसको आपने स्वीकार किया है और हर हिन्दुस्तानी भी यही कहता है और मुझे कोई सन्देह नहीं है कि वह होगा। लेकिन वक्त की बात ज़रूर है। हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिये और इस वजह से नहीं करना चाहिये कि हम में उत्साह है, हम में जोश है। इस तरह का काम करने का क्या नतीजा हो सकता है, इस पर विचार कर लिया जाना चाहिये। हम अगर फौज से वहां हमला नहीं करते तब हम क्या बड़ा फौज़ी हमला वहां होने दें या नहीं? आप जानते हैं यह सवाल हुआ है। अगर बड़ा हमला वहां बगैर फौजों के होने दें तो इसका क्या नतीजा होगा। अगर उसका नतीजा यह हुआ कि फिर हमें मजबूर हो कर फौजें ले

जानी पड़ीं तो वह गलत बात हो जाती है और सरीहन गलत बात होगी । अकसर लोग जानते नहीं कि क्या उन्होंने कहा । पहले तो कहा था कि हम तो यह इसलिये कर रहे हैं कि आपको मजबूर करें फौजें लाने के लिये । तो अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि फिर हम उसी पेच में फंस जाते हैं । गोआ का एक तकलीफदेह सवाल है, हर वक्त सिर मे दर्द लगाये रखता है, महज़ इसलिये नहीं कि वहां खाली पौर्चुगल की हकूमत की बदतमीज़ी की बातें होती हैं, गलत बातें होती हैं, ज्यादतियां होती हैं जो कि हिन्दुस्तान के खिलाफ जाती हैं और उसकी शान के खिलाफ जाती हैं—वह तो है ही—लेकिन वहां के लोगों के विचारों का खास तौर से जो उनकी परेशानी हैं, जो उनके ऊपर बोझा पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, जुल्म हो रहे हैं, इन बातों से भी हमें तकलीफ होती है । मैं आपसे साफ कहूं कि मैं बड़े पेच में पड़ा हूं । हमने जो कार्यवाही की, कुछ आर्थिक कार्यवाई की जिसको कि सैंकशंस कहते हैं उसका कुछ न कुछ असर तो पौर्चुगीज़ गवर्नमेंट पर पड़ा और यकीनन पड़ा और वह ठीक भी था लेकिन उसका असर वहां की आम जनता पर भी पड़ा, वे बेचारे परेशान हुये और शायद पौर्चुगीज़ गवर्नमेंट से भी ज्यादा परेशान हुए । तो मैं नहीं चाहता हूं कि उन बेचारे लोगों को परेशान किया जाये । वे यों ही पौर्चुगल के नीचे परेशान कम नहीं हैं । लेकिन हमारी कार्रवाई से जब परेशानी बढ़ती है तो यह बात विचारतलब हो जाती है । तो हम क्या करें और क्या न करें, ये सब पेंच हैं । मैंने एक बार कहा था कि मैं चाहता हूं कि दो तीन मोटी मोटी जो बातें हैं उनको समझ लिया जाये और उनको ध्यान में रखते हुये हम कोई फौजी कार्रवाई नहीं करना चाहते । हमारे ऐसा करने से क्या मालूम दुनिया में क्या उसकी उलट पलट हो । यह छोटी सी बात नहीं है । तब हम क्या करना चाहते हैं । हम वही करना चाहते हैं जो हमारे सिद्धान्त से मिलती जुलती है बात । यह जो चीज है यह यकीनन आखिर में गोआ के लोगों की है—हमारी भी है मैं इससे इन्कार नहीं करता—लेकिन अव्वल तो गोआ के लोगों की है । गोआ के लोग चाहे गोआ में रहते हों या बाहर उनकी है । एक लाख के करीब गोआनी लोग बम्बई में रहते हैं और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वे आपस में ज्यादातर लड़ा करते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि बाहर से आकर गवर्नमेंट आफ इंडिया उनकी मदद करती जाये । बिल्कुल अपनी टांगों पर खड़े होने की भी उन्होंने कोशिश नहीं की, इस बात का मुझे रंज है । मैं तो चाहता हूं कि इस हफ्ते या इसी महीने विरोधी दल के जो सदस्य हैं और इस तरफ के जो सदस्य हैं उन से मैं पूछूं और वे मुझे बतायें और हम लोग मिल कर इस मामले में बात करें और सोचें कि हमें इस मामले में क्या करना चाहिये । अगर वे मानें तो वह अवश्य इस मश्विरे में शरीक होंगे । जो माननीय सदस्य इस मसले में दिलचस्पी रखते हैं, मैं चाहता हूं कि वे भी इसमें शरीक हों और कुछ रोशनी डालें ।

गोआ के बारे में ही मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं । पौर्चुगीज़ गवर्नमेंट का इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में एक मुकदमा है जिसे उसने दायर किया है और आप जानते ही हैं कि वह किस के बारे में है । असल में वह नगरहवेली के बारे में है । यह सवाल भी खाली उसका नहीं रहता, इसमें भी पच आ जाते हैं । इसके बारे में हमारा जो जवाब है वह अदालत में पेश कर दिया गया है । पौर्चुगीज़ ने हमारे जवाब का जवाबुलजवाब देने के लिये वक्त मांगा है और यह झगड़ा महज इस बात पर है कि अदालत को इस सवाल पर विचार करने का हक हासिल है या नहीं । तो ये सब पेंच हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता था ।

काश्मीर के बारे में बहुत कुछ बहस हो चुकी है और मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि इसके बारे में अब कुछ कहूं । अभी डा० यारिंग यहां आये थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है । गालिबन चन्द एक दिनों में या दो एक हफ्तों में—मैं नहीं जानता—सिक्योरिटी काउंसिल में बहस होगी । इस वास्ते मैं ज्यादा उस पर कहना इस वक्त मुनासिब नहीं समझता हूं ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

† अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब इस सभा में नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर चाहे वे प्रश्न घरेलू हों या अन्तर्राष्ट्रीय, चर्चा होती है। हम चाहते हैं कि सरकार की नीति की भरसक आलोचना हो। हम चाहते हैं कि सभा के सभी सदस्य--चाहे वे विरोधी पक्ष के हों या सरकारी पक्ष के हों--अपनी आलोचना तथा विचारों से हमें सहायता दें। यद्यपि बहुत से विरोधी दल हैं--एक सरकारी दल है दूसरे विरोधी दल हैं--इस कारण प्राकृतिक रूप से हमें यहां एक दूसरे के विरोध करने का अवसर मिलता है--किन्तु समूची संसद् को तो भारत के कल्याण के लिये ही काम करना है। इसके साथ साथ जब कि हम एक दूसरे की आलोचना करें--जैसा कि यह आवश्यक है--हमें सदैव यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हम सब एक ही उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हैं। मैं आलोचना का स्वागत करता हूं, कई बार मेरी समझ में आलोचना व्यर्थ और असंगत सी होती है उस समय मैं उसे इतना पसन्द नहीं करता।

यह बात सच है कि आज हमारे सामने भारत में भी तथा विश्व में बड़ी महत्वपूर्ण एवं गंभीर समस्यायें हैं। यह एक पुरानी बात है कि विश्व या भारत एक संक्रमण काल में से गुजर रहा है। यह बात बार बार कही जाती है। यद्यपि हम लोग इस बात को बार बार कहते हैं किन्तु मुझे सन्देह है कि क्या हम लोग इस समय की वास्तविक महत्ता को भी समझते हैं जिसमें से हम गुजर रहे हैं। यह दिन, महीने और साल जो गुजर रहे हैं बहुत ही महत्व रखते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ पिछले वर्षों से संकट तथा बर्बादी का खतरा रहा है। अभी तक हम इस संकट से बचे रहे हैं लेकिन इससे हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिये--अभी भी हम उसी खतरे में हैं। यह सब बातें बड़ी असाधारण हैं जो आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं--उद्जन बमों के परीक्षणात्मक विस्फोट हो रहे हैं, और आणविक अस्त्रों को इकट्ठा किया जाता है। ऐसे अस्त्रों को दूसरे देशों को भी दिया जा रहा है। यह बात और भी खतरनाक है।

कई बार निःशस्त्रीकरण की बातें होती हैं और हम समझने लगते हैं कि संसार निश्शस्त्रीकरण की ओर प्रगति कर रहा है। उसके बाद फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं और महसूस करते हैं कि हम जहां पहले थे उससे भी पीछे चले गये हैं। विरोधी दल के सदस्यों ने कहा है कि दोष एक पक्ष का है--दूसरे का नहीं है। हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम देखें कि दोष किस राष्ट्र का है। हमें अपने विचार व्यक्त करने पड़ते हैं--कई बार चाहे कोई राष्ट्र उसे पसंद न करे--किन्तु हम किसी को दोषी नहीं बताते और विभिन्न देशों से झगड़ा नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम सभी के मित्र रहें। हां! यदि हमारी राय उनसे अलग हो हम उसे व्यक्त करते हैं। किन्तु है यह बात असाधारण सी। आप आणविक अस्त्रों के एकत्रण के प्रश्न को ही लीजिये। प्रत्येक बुद्धिमान् व्यक्ति यह जानता है और कहता है कि यदि किसी युद्ध में इन शस्त्रों का प्रयोग किया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि संसार में मानव जाति का सर्वनाश हो जायेगा। इस बात को स्वीकार करते हुए भी इसे रोकने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है? वे लोग इन्हीं हथियारों को बनाते हैं और एकत्रित करते जा रहे हैं। जहां तक इन प्रयोगात्मक विस्फोटों का सम्बन्ध है--प्रत्येक विस्फोट खतरे वाला है। खतरा किस मात्रा तक है बहस इस बात पर होती है। किन्तु यह बात सभी मानते हैं कि ये विस्फोट खतरनाक हैं। खतरा पूरे दर्जे का हो चुका है या नहीं

---

† मूल अंग्रेजी में

बहस इसी बात पर होती है। इसके बाद इन विस्फोटों के अज्ञात खतरे भी हैं। इन सब खतरों के होते हुए भी यह बातें चलती जा रही हैं। बहुत से देश यह कहते हैं कि इस समय संसार के दो देशों के पास सब से ज्यादा बम हैं और अब एक तीसरा देश अर्थात् इंग्लैण्ड जिसके पास कुछ आणविक बम हैं उद्जन बमों का परीक्षण कर रहा है। मैं चाहता हूं कि सभा केवल इस बात पर केवल एक बौद्धिक दृष्टि से ही विचार न करे--किन्तु इस तस्वीर को देखने की कोशिश करे कि यह बड़े बड़े देश में सम्मानित देश किस दिशा में जा रहे हैं; ये कदम ऐसे हैं जो कि केवल बर्बादी की ओर ही जा रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि इस शस्त्रीकरण पर कितना धन नष्ट किया जा रहा है। कल मुझे बताया गया कि हमारी करोड़ों रुपये की पंचवर्षीय योजना का सारा व्यय एक बड़े देश के सैनिक बजट के मुकाबले में कुछ महीनों का व्यय है। शायद ८० दिन का व्यय बताया गया था। हमारी पंचवर्षीय योजना का व्यय शान्ति के काल में सेना के ८० दिन के व्यय के बराबर है। युद्धकाल में तो निस्सन्देह बहुत ज्यादा होगा। इधर तो एशिया तथा अफ्रीका के मुल्क विकास करने की कोशिशें कर रहे हैं उधर धड़ाधड़ बड़ी बड़ी रकमें तबाही के हथियारों पर व्यय की जा रही हैं। यह बड़ी असाधारण सी बात है।

एक और पहलू भी है। मध्य-पूर्व में हम देख रहे हैं कि कई बड़ी अजीब सी बातें हो रही हैं, गत वर्ष से बहुत सी घटनायें हो गई हैं। पहले स्वेज नहर के बारे में हस्तक्षेप हुआ और फिर मिस्र पर आक्रमण हुआ, इसके बाद जार्डन का मामला आया। मुझे याद है कि एक बार मैं ने बिना सोचे यह कह दिया था कि मध्य-पूर्व में कई परिवर्तन हो जाने के कारण वहां पर एक रिक्तता पैदा हो गई है। उस समय मुझे यह ख्याल नहीं था कि मेरे इन शब्दों से लोग यों सोचने लगेंगे और बाहर से आकर इस रिक्तता को भरने का प्रयास करने लगेंगे। यदि कोई रिक्तता है तो उसे उसी देश के लोगों द्वारा भरा जाना चाहिये--कोई बाहरी देश आकर यह काम न करे। मैं समझता हूं कि यह सिद्धान्त बहुत ही गलत सिद्धान्त है--कोई देश भी इस पर चले वह गलती करता है--चाहे वह इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो। किन्तु यह सिद्धान्त कि सारे संसार को उनके प्रभाव में रहना है या पुराने साम्राज्यों ने जिन देशों को खाली कर दिया है अब उन पर उनका प्रभाव होना चाहिये--यह सिद्धान्त स्पष्टतया हमारी विचारधारा के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त भी यह वास्तविक तरीका नहीं है। इसके जो उद्देश्य हैं इन से उनकी पूर्ति नहीं होती। इस से नई कठिनाइयां तथा समस्यायें उत्पन्न होती हैं। यदि एक व्यक्ति इस रिक्तता को भरना चाहता है तो उसके साथ दूसरे भी वैसा ही करना चाहते हैं और उससे वहां पर झगड़े होने शुरू हो जाते हैं जैसा कि हम देख ही रहे हैं। हम, जैसा कि मैंने कहा है, अन्तर्राष्ट्रीय बातों की अवहेलना नहीं कर सकते क्योंकि इस से हमारी पंचवर्षीय योजना तथा हमारी बातों पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

इस के बाद मैं हमारे सामने जो वास्तविक कार्य है उसकी ओर आता हूं। हमारा मुख्य काम है अपने देश का विकास करना तथा दूसरे देशों के कामों में हस्तक्षेप न करना। हमारा मुख्य काम जो है उसे मुख्यतया दूसरी पंचवर्षीय योजना में बता दिया गया है। माननीय सदस्य हमारी पंचवर्षीय योजना की आलोचना कर सकते हैं और जहां इस में गलती हों वहां वह हमें बतायें और बतायें कि कहां इसमें तबदीली की जरूरत है। यह

[श्री जवाहरलाल नहरू]

कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें परिवर्तन त किया जा सके। योजना बनाते समय ही हम ने यह निश्चय किया था कि इस योजना में नम्रशीलता रखी जायेगी। हम ने तब से इस में परिवर्तन किये हैं और शायद आगे भी करते रहें किन्तु योजना की जो बुनियादी बातें हैं हम उन पर कायम रहना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इससे अलग और कोई रास्ता नहीं है। यदि हम इस योजना को छोड़ दें या किसी मुख्य काम को न करें तो हम जहां अब हैं वहां भी नहीं रहेंगे। हम उन ताकतों, आर्थिक ताकतों के नीचे दब जायेंगे जो हम ने ही पैदा की हैं। इसलिये हमें इस योजना के साथ आगे बढ़ना है।

कुछ माननीय सदस्य शायद कहें कि यह योजना पर्याप्त नहीं है अथवा इसमें लत बातों पर जोर दिया गया है। यह मामला विवादास्पद है। वास्तव में इस योजना से हमारे संसाधनों का पता चलता है। सभा को इस बात का पता कल के वित्त मंत्री के भाषण से लगा होगा कि सरकार इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये कहां कहां संसाधन ढूंढ रही है। इस से स्पष्ट होता है कि हम ने योजना को कार्यान्वित करने का पक्का इरादा कर रखा है, विशेषकर योजना में जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको तो जरूर ही पूरा किया जायेगा। भारत का भविष्य इसी योजना की पूर्ति पर निर्भर है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि योजना की अवधि को बढ़ा दिया जाये। जहां तक योजना की बुनियादी बातों का सम्बन्ध है सभा को ध्यान में रखना चाहिये कि इस प्रकार से समय बढ़ाने का मामला आसान नहीं है। जितना हम और आगे डालते जायेंगे उतनी ही हमारे लिये बाद में कठिनाई आती जायेगी। कल्पना कीजिये कि हम अपने इस्पात आदि के कारखानों में विलम्ब करें उसका अर्थ यह होगा कि भारत में उद्योग के विकास को धक्का लगेगा, इस प्रकार यह विलम्ब समस्त देश के लिये घातक सिद्ध होगा और हालत खराब हो जायेगी। इस से उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और स्थिति बाद में काबू से बाहर हो जायेगी। यह बात कहना आसान है। हां ! जो कम महत्व की बातें हैं उन्हें आगे डाला जा सकता है—किन्तु इस्पात के कारखानों, मशीनें बनाने के कारखानों को स्थगित नहीं किया जा सकता। हमें मशीनें यहां बनानी होंगी। हम कब तक मशीनें बाहर से मंगवाते रहेंगे। और भी बहुत सी बातों में हम विलम्ब नहीं कर सकते। कृषि उत्पादन बढ़ाने के मामले को देर तक पीछे नहीं रख सकते। यह मामला भी बड़े महत्व का है। औद्योगिक विकास का भले ही चाहे कितना महत्व हो किन्तु जब तक हमारी कृषि व्यवस्था ठोस नहीं होती हमारा खाद्यान्न का मसला हल नहीं होता तब तक हमारी बुनियाद मजबूत नहीं हो सकती। हम चाहे उद्योगों पर कितना ही ज़ोर क्यों त रखें, कृषि सम्बन्धी मामला सदैव प्रधान रहेगा। इसी के साथ हमें भारी उद्योगों के विकास पर भी ज़ोर देना है। यदि हम इस देश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो यहां भारी उद्योगों का विकास करना आवश्यक है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है।

भारी उद्योगों का विकास करने से बड़ा भारी बोझ पड़ता है। इसका अर्थ है कि इस देश को इसका बोझ तब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक कि भारी उद्योग से उत्पादन आरम्भ नहीं हो जाता। पांच छ सालों तक इस्पात तथा मशीनें बनाने के कारखानों पर करोड़ों रुपये का व्यय करना होगा। किन्तु उसके बाद में इससे बहुत लाभ भी होगा। उसके बाद यही कारखाने सोना उगलेंगे। किन्तु आरम्भ में—चाहे कोई भी देश हो, भारत

हो या चीन हो--उसे इस दौर में से गुजरना पड़ेगा । इस से बचने का और कोई रास्ता नहीं है । विकास विशेषतया औद्योगिक विकास के लिये आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है । उसके बाद निस्संदेह आपको उसका फल मिलता है । अब यह बात हमें सोचनी है कि क्या हम उसके लिये वह कीमत दें और बलिदान करें ।

दूसरे देशों में, जिन्हें एकतंत्रात्मक कहा जाता है, वहां भी लोगों को बलिदान करने पड़ते हैं और कई बार बड़े भारी बलिदान करने पड़ते हैं । वह केवल इस बात को एक आदेश से करते हैं और वह इस काम को लोगों की रजामंदी के बगैर भी कर सकते हैं । खैर हम उस तरीके से यह काम नहीं कर सकते । हम चाहें कोई योजना बनायें या कोई तरीका अख्तियार करें हमें लोगों को अपने साथ रखना पड़ता है । हमें पहले संसद की शुभेच्छा प्राप्त करनी पड़ती है, राज्य विधान सभाओं की शुभेच्छा प्राप्त करनी पड़ती है और पंचायतों तक से हमें रजामंदी हासिल करनी पड़ती है ।

मैं ने भारी उद्योगों के विकास के बारे में बताया है । इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि भारत में सब से महत्वपूर्ण बात जो इस समय हो रही है चाहे उसे हम खाद्यान्नों के उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें या छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के दृष्टिकोण से देखें-- वह सामुदायिक परियोजनाओं का जाल है जो कि भारत के २,२०,००० गांवों में फैला हुआ है । मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि सामुदायिक विकास का स्तर भारत में पर्याप्त रूप से ऊंचा है ।

हमें आशा है कि इस सामुदायिक विकास से भारत के गांवों का नक्शा बदल जायेगा और बहुत हद तक तो बदल ही रहा है--इस योजना से भारत के गांवों में रहने वाले लोगों की मनोवृत्ति बदल जायेगी ।

आचार्य कृपालानी ने कहा कि भारत एक गन्दी बस्ती है । बहुत हद तक यह बात सही है । एक गरीब देश गन्दा तो होता ही है । इस बात में कोई शक नहीं है । किन्तु हम इस कठिनाई को पार कैसे करें ? हम ग्रामीण भारत का नक्शा कैसे बदलें ? बड़े नगरों की गन्दी बस्तियों की बात छोड़िये । ग्रामीण भारत को कैसे बदलें ? केवल सरकारी व्यय या सरकार के प्रयत्नों से तो कोई काम नहीं बनेगा । यह काम तभी हो सकता है जब लोगों को संगठित किया जाये और लोगों के दिलों में काम करने की भावना पैदा की जाये । मैं समझता हूं कि उस भावना का सृजन हो रहा है । मैं ने अपनी आंखों से देखा है कि यहां के गांव कैसे बदल रहे हैं । यह परिवर्तन कोई बहुत अधिक तो है ही नहीं । किन्तु यदि पहले से तुलना करें तो बहुत हुआ है । अन्ततः हमारा कृषि उत्पादन इन्हीं सामुदायिक परियोजनाओं के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप बढ़ेगा । उन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी ने आंकड़ों पर कुछ सन्देह प्रकट किया । मैं उस बात को समझता हूं । मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब जो आंकड़े हम अपने नमूना सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त करते हैं वह पर्याप्त रूप में विश्वसनीय तथा सही होते हैं । हम उन्हें और भी ज्यादा सही बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि प्रत्येक फसल के बारे में हमें ठीक ठीक आंकड़े प्राप्त होते रहें ।

इस में तो कोई सन्देह नहीं कि सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय २५ प्रतिशत खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि हुई, हां सभी क्षेत्रों में नहीं हुई क्योंकि अभी उन्हें कोई अवसर नहीं मिला था । मैं समझता हूं कि २५ प्रतिशत वृद्धि बहुत काफी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वृद्धि है। इसे और ज्यादा होना चाहिये यह अलग बात है, किन्तु २५ प्रतिशत वृद्धि भी बहुत काफी है। दूसरी योजना के लिये मैं इन आंकड़ों को २० प्रतिशत पर रखूंगा, क्योंकि इस योजना में हम बहुत सी अन्य जमीन पर भी खेती करेंगे। मैं समझता हूं हम ऐसा कर सकते हैं।

मैं कई माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि बहुत से राज्यों में भूमि सुधार सम्बन्धी विधियां नहीं बनी हैं और यह काम ढीला रहा है। इसे शीघ्रता से होना चाहिये था। मुझे आशा है कि इस काम को अब शीघ्रता से किया जायेगा।

योजना आयोग ने भी इस बात को निर्धारित किया है और उस बात की स्वीकृति सभा ने भी दी है। मैं समझता हूं कि कृषि के मामले में हम सहकारी ढंग को अपना कर ही आगे बढ़ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी सहकारी सस्थायें बहुत बड़ी बड़ी हों। मैं चाहता हूं कि छोटी संस्थायें ही ठीक हैं और एक गांव में एक या दो संस्थायें हों सकती हैं। मैं चाहता हूं कि लोगों में पारस्परिक मैत्री हो और सब एक दूसरे को जानते हों।

आप कृषि सहकारिता के मामले को ही लीजिये। इसे हम लोगों की रजामंदी से ही लागू कर सकते हैं। हम लोगों को मजबूर नहीं कर सकते। किन्तु हमारे देश में यह बात आवश्यक है क्योंकि यहां खेत छोटे छोटे हैं और हम इस प्रकार आधुनिक तरीकों का लाभ नहीं उठा सकते। हम बहुत बड़े खेत भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इन खेतों को सीमित ही रखा जाये। इसलिये सिवाय सहकारी संस्थाओं के और कोई भी चारा नहीं है। मुझे हैरानी होती है कि यद्यपि योजना आयोग ने भी यह कहा है और इस सभा ने भी इसे स्वीकार किया है किन्तु फिर भी सन्देह प्रकट किये जाते हैं कि चाहे यह बात विदेशों के लिये लाभदायक हो किन्तु भारत के लिये तो उपयुक्त नहीं हैं। यदि श्री महेन्द्र प्रताप जैसे सदस्य कोई ऐसी बात कहें तो दूसरी बात है क्योंकि वह तो पुराने जमाने की दलदल में फंसे हैं। कोई इस तथ्य पर सन्देह प्रकट करे इससे मुझे हैरानी होती है। हमारे किसानों के लाभ के लिये तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि कृषि सहकारी संघ बनाये जायें। हम विकास किसी आदेश से नहीं कर सकते, इतनी शीघ्रता से नहीं कर सकते, हमें लोगों को मनाना है, उन्हें समझाना है और फिर उनकी स्वीकृति लेनी है। हो सकता है हमें पहले साधारण स्तर का काम करना पड़े किन्तु जब उसके परिणाम निकलेंगे तो लोग स्वयं उनका अनुसरण करेंगे क्योंकि मूल रूप से भारतीय किसान बड़े बुद्धिमान हैं। यदि हम ठीक तरीके से उन्हें समझायें और इस बात की व्याख्या करें तो निस्सन्देह वह इस बात को स्वीकार करेंगे।

बहुत सी बातें हम करने की कोशिश करते हैं। आज तेल और दूसरे मामलों के बारे में सवाल थे। हमारे देश में तेल किनालयें की व्यवस्था हो रही है जिससे थोड़े ही वर्षों में हमें बहुत फायदा होगा क्योंकि तेल बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य है। केवल यही बात कि हमें तेल के लिये किसी विदेश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा इसी से हमें बड़ा फायदा होगा, दूसरे लाभ तो जो होंगे वह अलग हैं ही।

इस कारण मैं प्रार्थना करूंगा कि इन बातों पर इसी दृष्टिकोण से सोचा जाय और हमें याद रखना चाहिये कि हमारे ऊपर एक बड़ा बोझ है और हमें अपना कर्तव्य पालन करना है । जो वायदे लोगों से किये हैं उन्हें पूरा करना है चाहे कुछ देर हमें तकलीफ ही क्यों न उठानी पड़े । मैं प्रार्थना करता हूं कि सदस्य बातों की खूब आलोचना करें किन्तु आलोचना रचनात्मक तरीके की होनी चाहिये ।

आचार्य कृपालानी ने भ्रष्टाचार का उल्लेख किया और वैदेशिक कार्य मंत्रालय के दो मामलों के बारे में कहा । पहला मामला यह था कि कारें खरीदने के लिये लगातार तीन वर्ष रुपया उधार लिया गया । यह बड़ी अनुचित बात थी । किन्तु इस में हमें कोई हानि नहीं होती यदि रुपया लिया जाता है तो उसे वापस कर दिया जाता है किन्तु थी यह बात अनुचित । उन्होंने और भी कुछ बातें कहीं । इन्हीं बातों के लिये लोक लेखा समिति आदि समितियां हैं । हम चाहते हैं कि सदस्य इन बातों में हमारी सहायता करें । किन्तु सभा को इस बात से यह नहीं समझना चाहिये कि चूंकि ऐसी बहुत सी घटनायें होती हैं इस कारण यह बातें सब स्थानों पर ही होती हैं ।

हम अपनी विदेशी सेवाओं को देखें । सैकड़ों पदाधिकारी काम कर रहे हैं । यदि वह खराबी करते हैं हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं । हमें उन्हें दण्ड देना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि कोई व्यक्ति गलती भी नहीं कर सकता । किन्तु इन नौजवान पदाधिकारियों में बहुत से अच्छे आदमी हैं ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : यह बात नहीं कि ऐसी बातें नहीं होतीं—होती हैं—लेकिन कुछ किया नहीं जाता । सब से बड़ी बात तो यह है कि जो लोग खुद अनियमित काम करते हैं उन्हें उन्हीं पदों पर जहां वे पहले थे, बल्कि उससे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि माननीय सदस्य कोई ऐसा उदाहरण दें जिसमें कार्यवाही न की गई हो तो मैं उस मामले को देखूंगा । मेरा ख्याल है कि जहां भी ऐसी बातें हुई हैं और सिद्ध हो गई हैं हम ने कार्यवाही की है । यह बात हो सकती है कि माननीय सदस्य कहीं यह समझें कि दण्ड कड़ा होना चाहिये था । यह मामला अलग है । वास्तव में कठिनाई यह है कि हमारी प्रक्रिया बड़ी उलझनों वाली है । विभागीय जांचें आदि होती हैं । फिर संघ लोक सेवा आयोग को मामले निर्दिष्ट किये जाते हैं । इन बातों में कई बार वर्षों लग जाते हैं । इन बातों से बचने के लिये हम कभी कभी हल्की सजा दे देते हैं जो तुरन्त दी जा सके । ऐसा किया जाता है । भारी दण्ड के लिये हमें दो या तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इस मामले पर सभा विचार कर सकती है ।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज) : क्या प्रक्रिया को सरल बनाने की भी कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मामले पर विचार किया गया है । सभा इस मामले पर विचार कर सकती है । मैं चाहता हूं कि प्रक्रिया सरल बने ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जहां तक सम्भव है हम कार्यवाही करते हैं। इन मामलों पर कार्यवाही करने के लिये हमें इस सभा तथा लोक-लेखा समिति की सहायता लेने की जरूरत है ! किन्तु हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिये कि हम सभी को एक रस्सी से न बांधें। हमारे बहुत से कर्मचारी बड़े ईमानदार और कार्यकुशल हैं। हमारे कर्मचारी किसी देश के कर्मचारियों की तुलना में कम नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक व्यक्ति ही अच्छा है। जो व्यक्ति दूसरे देशों के कर्मचारियों के बारे में कुछ जानते हैं वह मेरी बात से सहमत होंगे। जो लोग बाहर से आये हैं उनकी तो यही राय है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह अभिभाषण उनका व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं है। इससे मुख्यतया सरकारी नीति का पता चलता है। आचार्य कृपालानी जी ने कहा कि यह केवल एक औपचारिक सा अभिभाषण था। ठीक है इसे औपचारिक होना भी चाहिये। यह अनौपचारिक नहीं हो सकता। हम तो इस सभा में अनौपचारिक रूप से व्यवहार कर सकते हैं। राष्ट्रपति को तो औपचारिक रीति से ही यह कहना पड़ेगा। उन्हें बड़े बड़े मामलों के बारे में बताना होता है। हो सकता है कि कई मामले रह भी जायें क्योंकि प्रत्येक मामले को लाया नहीं जा सकता। हम मुख्य बातों को ही लाना चाहते हैं। मैं यह कहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं वह सत्य ही कही गई हैं। उदाहरणार्थ खाद्य स्थिति के बारे में बिल्कुल ठीक बातें कही गई हैं। स्थिति को छुपाने का प्रयत्न नहीं किया गया। इस स्थिति पर भीषण चिन्ता प्रकट की गई है।

इस के बाद आचार्य कृपालानी ने कहा कि इससे हमें यह नहीं पता लगता कि इस सत्र में कौन कौन से कानून बनाये जायेंगे। वास्तव में इस १५ दिन के सत्र में बहुत ही कम कानून बनेंगे। रेलवे तथा सामान्य बजट पर वाद-विवाद के अतिरिक्त दो या तीन विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे। इसका उल्लेख इस कारण से नहीं किया गया क्योंकि यह मामूली काम था। भविष्य में जब कभी अधिक काम हुआ करेगा उसका उल्लेख किया जाया करेगा।

†**श्री महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : प्रधान मंत्री जी कामन्वैल्थ के दलदल में फंसे हुए हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय गृह-मंत्री उत्तर कल देंगे ?

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : जी हां, यही ठीक होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास बहुत से माननीय सदस्य आते हैं और कहते हैं कि हमारा वर्ग अलग है इस लिये हमें बोलने का अवसर दिया जाये। मैं चाहता हूं कि अवसर सभी दलों तथा वर्गों को मिले। इसलिये जब कोई सदस्य मुझे चिट भेजें उस पर वे अपना नाम, मत विभाजन संख्या तथा दल स्पष्टतया लिखें ताकि मैं देख सकूं कि किस किस दल के लोगों को अवसर देना है। इसी तरीके से कार्यवाही विनियमित हो सकती है।

†मूल अंग्रेजी में।